## कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
## ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, कटिहार।

पत्रांक :– 681 (अनु०) /कटिहार, दिनांक– 25/03/2025

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, कटिहार।

सेवा में,

अपर–मुख्य–कार्यपालक–पदाधिकरी,
BRRDA, बिहार, पटना।

विषय :– शीर्ष NABARD Maintenance Fund योजनान्तर्गत मरम्मति हेतु आवंटन की अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष NABARD Maintenance Fund योजनान्तर्गत ग्रा0का0वि0, कार्य प्रमंडल, कटिहार द्वारा विहित प्रपत्र में अधियाचना तैयार कर आपके अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित की जाती है।

अनु0:–यथोक्त्।

विष्वासभाजन,

25/03/25

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, कटिहार।

Nitish 25/3/25

ज्ञापांकः– 681 /कटिहार, दिनांकः– 25/03/2025

प्रतिलिपिः– नोडल पदाधिकरी, NABARD, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

25/03/25

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, कटिहार।

Nitish 25/3/25

# FORM GFR 19-A

(See Government of India's Decision (1) below Rule-150)

Form of Utilisation Certificate upto the month of March, 2025

## NABARD MAINTENANCE FUND

| Sl. No. | Name of Scheme | Sanction No. & Date with Amount (in Rs. Lacs) | Amount Received (in Rs. Lacs) | Particulars |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maintenance of Rural Roads and Bridge under NABARD | | | Certified that out of **Rs. 0.00** lacs received upto the year-2023-24 in favour of Ex. Engineer, RWD, Katihar a sum of **Rs. 0.00** lacs has been utilized for the purpose of gtsny rural roads Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of **Rs. 0.00** lacs remaining unutilized at the end of the period under. |
| | | Total :- | **0.00000** | |

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kind of Checks exercised :-

i. Works have been supervised by Executive Engineer/Superintending Engineer.
ii. Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/Superintending Engineer.
iii. Construction materials have been tested.
iv. Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant.
v. All other codal formalities have been observed.

3. Physical Progress achieved :-

i. Construction of Road Works.
ii. Construction of CD Works.

Hossain 25.03.25

**D.A.O.**
**R.W.D. (W) Division, Katihar.**

25/03/25

**Executive Engineer,**
**RWD (W) Division, Katihar.**

Nitin 25/3/25

## राज्य योजना (नाबार्ड) अंर्तगत पथों में पंचवर्षीय अनुरक्षण अधियाचना प्रपत्र

| क्र0 सं0 | कार्य प्रमंडल का नाम | योजना का नाम | एकरारनामा के अनुसार प्रावधानित राशि वर्षवार | | | | | कुल राशि (लाख में) | व्यय की राशि वर्षवार | | | | | कुल राशि (लाख में) | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग दिनाक सहित पत्रांक (लाख में) | पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि सहित अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि (लाख में) | अनुरक्षण हेतु प्रशानिक स्वीकृति का पत्रांक/दिनांक | मूल निर्माण कार्य करने पूर्ण करने की वास्तविक तिथि | वर्तमान अधियाचित राशि | | | | | कुल राशि लाख में | कुल अधियाचित राशि लाख में |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | प्रथम वर्ष की राशि (लाख में) | द्वितीय वर्ष की राशि (लाख में) | तृतीय वर्ष की राशि (लाख में) | चतुर्थ वर्ष की राशि (लाख में) | पंचम वर्ष की राशि (लाख में) | | प्रथम वर्ष की राशि (लाख में) | द्वितीय वर्ष की राशि (लाख में) | तृतीय वर्ष की राशि (लाख में) | चतुर्थ वर्ष की राशि (लाख में) | पंचम वर्ष की राशि (लाख में) | | | | | | प्रथम वर्ष की राशि (लाख में) | द्वितीय वर्ष की राशि (लाख में) | तृतीय वर्ष की राशि (लाख में) | चतुर्थ वर्ष की राशि (लाख में) | पंचम वर्ष की राशि (लाख में) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | **Katihar** | Brahm Baba Sthan to Brahmn Tola | 0.20861 | 0.26933 | 0.44203 | 0.53942 | 0.63707 | **2.09646** | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | **0.00000** | 51.002 & Lt. No.-2654 Dt-16.07.2018 | 48.59500 | ----- | **14-03-2020** | 0.00000 | 0.00000 | 0.43840 | 0.53779 | 0.00000 | **0.97619** | **0.97619** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Total** | **0.97619** |

1 कार्य विशिष्टियों के अनुरूप पूर्ण कर लिया गया है।

2 पथ में MQMU/PQM/IE से संबंधित कोई सुधार प्रतिवेदन लंबित नहीं है।

3 अनुमोदित परिमाण विपत्र की कुल राशि प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से 20% अधिकतम सीमा के भीतर है साथ ही अनुमोदित परिमाण के मदों की मात्रा का विस्तार का

4 अनलग्नक–प्रशासनिक स्वीकृति का पत्र, अनुमोदित परिमाण विपत्र एवं एकरारनामा की अभिप्रमाणित प्रति।

25.03.25

प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी ग्रेड–1
ग्रा0का0वि0, कार्य प्रमंडल, कटिहार।

25/3/2025

कार्यपालक अभियंता,
ग्रा0का0वि0, कार्य प्रमंडल, कटिहार।

25/3/25

## बिहार सरकार
## ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक – मु0 अ0–4 (मु0)–विविध कार्य–03–150/2016 2654 /पटना, दिनांक– 16/7/18

प्रेषक,

संजय कुमार, भा0प्र0से0
अपर सचिव।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उपशीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में (परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 06 पथ निर्माण योजनाओं पर पथवार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना – उप शीर्ष–0105 – ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना) – उप शीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में (परिशिष्ट – 1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 06 पथ निर्माण योजनाओं जिसकी लम्बाई 16.565 कि0मी0 एवं राशि रू0 12.45570 करोड़ (बारह करोड़ पैंतालिस लाख सन्तावन हजार रू0 मात्र) है–हेतु पथवार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

परिशिष्ट–1

**नाबार्ड संपोषित योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए प्रशासनिक अनुमोदित योजनाओं की सूची :–**

### Chief Engineer -1

| SL No. | District | Works Division | Block | MMGSY CNCPL No. | Name of Road | Length (K.M) | Construction Cost | Maintenance Cost | TA Amount (In Lacs) | Amount Lac/K.M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Katihar | Katihar | Sameli | S050 | Tikkapatti Laliya Chowk to Tikkapatti Nagari Tola | 0.620 | 60.18 | 2.27 | 62.45 | 97.06 |
| 2 | Katihar | Katihar | Barari | S05 | Hussain Chowk to Bari Tangariya | 1.190 | 82.79 | 2.992 | 85.78 | 69.57 |
| 3 | Khagaria | Gogari | Beldaur | S036 | Beldaur Panchayat PMGSY Road Bajrangbali Mandir to Jai Singh Baba Tola House of Supari Lal Singh | 1.400 | 90.24 | 4.506 | 94.750 | 64.46 |
| 4 | Katihar | Katihar | Sameli | S063 | Brahm Baba Asthan to Brahman Tola | 0.720 | 48.62 | 2.382 | 51.000 | 67.53 |
| 5 | Purnea | Purnea | Banmankhi | S051 | Const.of Road PWD Road to Jibachh Pur PWD Road Via Durga Asthan | 0.800 | 250.48 | 2.52 | 253.00 | 313.10 |
| 6 | Khagaria | Khagaria | Khagaria | S052 | Senmankhi Path Bagmati Nadi ke uss paar se Kamathan tak | 11.835 | 655.625 | 42.965 | 698.590 | 55.40 |
| **Total** | | | | | | **16.565** | **1187.935** | **57.635** | **1245.570** | |

2. इस योजना को दो वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
3. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, संबंधित कार्य प्रमंडल, योजना की विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा उसके अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
4. कार्यपालक अभियंता, संबंधित कार्य प्रमंडल सुनिश्चित करेगें कि स्वीकृत पथ किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है।
5. कार्यपालक अभियंता, संबंधित कार्य प्रमंडल, योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।
6. कार्य ई–निविदा के माध्यम से Standard Bidding Document के आधार पर कराया जायेगा।
7. कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी। किये गये कार्यों का भुगतान गुणवत्ता के जॉचफल के गुण–दोष के आधार पर किया जायेगा।
8. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी। **प्रावैधिक स्वीकृति के समय सभी सक्षम प्राधिकार IRC SP-72 वर्ष 2015 एवं IRC SP-62 वर्ष 2014 के तकनीकी प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।**

(514)

9. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय—103—ग्राम विकास—राज्य योजना—0105—ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)—उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड 37-4515001030105 एवं स्कीम कोड—5369 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018—19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

10. योजना शीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय—103—ग्राम विकास—राज्य योजना—0105—ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)—उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018—19 में 459.31 लाख रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।

11. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, संबंधित कार्य प्रमंडल, द्वारा योजना का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से क्रमशः संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता—2, पटना के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

12. इन योजनाओं का निर्माण नाबार्ड के तहत कराये जाने के प्रस्ताव पर मा0 मुख्यमंत्री महोदय, बिहार सरकार का अनुमोदन प्राप्त है। ये 06 पथ Brics New development Bank (NDB) के वित पोषण के लिए पूर्व में चिन्हित मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के 656 पथों की सूची में शामिल है।

13. इन पथवार योजनाओं के प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर संचिका सं0— मु0 अ0—4 (मु0) विविध कार्य—03—150/2016 के पृ0 सं0—31/टि0 पर दिनांक 29.06.2018 को अनुमोदन प्राप्त है।

14. बिहार कोषागार संहित में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत ही राशि की निकासी की जाय।

15. वित्त विभाग के संकल्प संख्या—4—45/94—301 वि (2) दिनांक 31.01.1995 एवं वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (8)—11—2005—5090 वि (2) दिनांक 15.09.05 एवं 295 दिनांक 24.03.15 के आलोक में तथा वित विभाग के संकल्प सं0 96 दिनांक 03.01.2008 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय तथा बिहार वित नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाय। यह आदेश आंतरिक वित्तिय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तिय सलाहकार की सहमति संचिका सं0— मु0 अ0—4 (मु0) विविध कार्य—03—150/2016 के पृष्ठ संख्या—35/टि0 पर दिनांक— 13.07.18 को प्राप्त है।

16. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य में नहीं।

17. योजना के लिए संबंधित कार्यपालक अभियंता से विस्तृत कार्य योजना मांगी जायेगी एवं प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।

18. योजना के कार्यान्वयन के कम में इनका निर्धारित निरीक्षण (नियमित अंतराल पर) अनिवार्य रूप से किया जाय तथा प्रतिवेदन अभिलेखवद्ध किया जाय।

19. वित्त विभाग के पत्रांक—770, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित किया गया है कि नाबार्ड से RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाये।

विश्वासभाजन

13.07.18

(संजय कुमार)
अपर सचिव

ज्ञापांक— मु0 अ0—4 (मु0)—विविध कार्य—03—150/2016 2654 /पटना, दिनांक—16/7/18

प्रतिलिपि— सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार/उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.7.18

अपर सचिव

ज्ञापांक— मु0 अ0—4 (मु0)—विविध कार्य—03—150/2016 2654 /पटना, दिनांक—16/7/18

प्रतिलिपि— माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय—व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/अभियंता प्रमुख ग्रा0 का0 वि0, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता—2, पटना, ग्रामीण कार्य विभाग/मु0 अ0—4 (मुख्यालय), ग्रा0 का0 वि0/सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रा0 का0 वि0, कार्य अंचल/सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 का0 वि0 कार्य प्रमंडल/मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय, (मौर्या कम्पलेक्स, पॉचवी मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

13.7.18

अपर सचिव